लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰आर्थिक खंड

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट के माह 04/2014 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/04/2016 से 28/04/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस विभाग की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार जैन.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 04/03/2014 से 11/03/2014 तक श्री अनिल कुमार जैन.ले.प.अ. के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 4/03/2014 से 11/03/2014 तक में सम्पन्न हुयी थी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री अनिल कुमार राम 05/09/2014 से वर्तमान तक।

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र सं	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/		
		2A	2B
1	AIR16/2004-05	-	1,2
2	AIR30/99-2000	-	1,2,3,4
3	AIR151/2006-07	-	1,2
4	AIR70/2013-14	-	1,2,3

3. अप्रस्तुत अभिलेखः- RKVY,IWAP,MATYALI आदि योजनाऔ से संबन्धित अभिलेख

4. सतत अनियमिततायेः-

6 . सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि `.में)

वर्ष	योजनागत		आयोजनेतर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	3061514.00	1876808.00	10992700.00	10992700.00
2014-15	20777706.00	19622510.00	12265709.00	12265709.00
2015-16	31875083.00	28519320.00	11336492.00	11336492.00

भाग 2(ब)

प्रस्तर-1 `127.10 लाख का संदिग्ध व्यय कैश बुक में दर्शाना।

वित्तीय निगम संग्रह खंड 5 भाग I के प्रस्तर 158 से 162 कोषागार से किसी भी मद के अंतर्गत धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहियें जब तक की उसके तुरन्त भुगतान/उपभोग की संभावना न हो। धनराशि का आहरण इस उदेश्य से भी नहीं करना चाहिये की वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रावधान समाप्त हो जाएगा और अन्यत्र वर्षो में धनराशि का आवंटन होना सम्भव नहीं है।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट (पिथौरागढ़) की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि दैवीय आपदा वर्ष (2012-13) में क्षतिग्रस्त परिसंपतियों के पुन: निर्माण हेतु विभागीय माँग पर विशेष योजनातगत सहायता (एस॰पी॰ए॰) (आर) के अंतर्गत डीडीहाट को ` 153.10 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया था। जिसमें से ` 127.10 लाख का व्यय दर्शाया गया अवशेष `26.00 लाख का समर्पण कृषि निदेशालय को इस लिये कर दिया गया कि समयांतर्गत जी॰आर॰ वायर फर्म के पास उपलब्ध नहीं था। ` 127.00 लाख व्यय धनराशि के लेखापरीक्षा में ` 92.44 लाख के डी॰एल॰सी॰ व्यय वाउचर कार्यालय में नहीं थे, जबकि मुख्य कैश में डी॰एल॰सी॰ भुगतान का समायोजन करके माह 3/2016 में अंतिम अवशेष शून्य दर्शाया गया था। माह के अन्त में बनायें जाने वाले एब्स्ट्रैक्ट में भी `92.44 धनराशि अग्रिम नहीं दर्शायी गयी थी। तथा `95000 तार दुलान भाड़ा के बिलों में वाहन संख्या अंकित न होने पर भी बिल स्वीकार करते हुऐं संबन्धित फर्म बी॰ संस एण्ड कंपनी पिथौरागढ़ जो कि वाणिज्य कर विभाग में सीमेन्ट सरिया का कारोबार करने के लिये अधिकृत थी , को ट्रांसपोर्ट भाड़ा भुगतान कर दिया गया था। जोकि वित्तीय नियमों के अनुसार उचित नहीं था। साथ ही साथ ` 27,05,830 जी॰आई॰ तार का भण्डार अभिलेखों में दिखाते हुए सामाग्री का सत्यापन करके बिल भुगतान करा गया जो स्टोर परचेज रुल्स के अनुसार गंतव्य स्थल से भण्डार गृह में सामग्री पहुचने के उपरान्त ही भण्डार पंजिका में दिनांक सहित प्रविष्टि की जाती है, परन्तु भण्डार लिपिक द्वारा भण्डार रसीद D/42 किस दिनांक की काटी गयी थी उल्लेखित ही नहीं किया गया था तथा भण्डार पंजिका अनुसार भण्डार दर्शायी गयी सामग्री जी0 आर0 वायर का वितरण अभिलेखों में सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं करा गया था। जब सामाग्री का वितरण न्याय पंचायतों को सम्प्रेक्षा तिथि तक किया ही नहीं गया था तो कार्य होना संभव ही नहीं था तो कोषागार में प्रस्तुत बिलों मे कार्यपूर्ण दर्शाते हुऐ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा शासकीय आवंटित धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम दिवसो में कर लिया था। प्राप्त कोषागार चैक की धनराशि के न्याय पंचायतों के नाम बैंकर्स चैक बनवाकर (जिसकी अवधि तीन माह तक वैध होती हैं) धनराशि को अपने पास उपभोग हेतु रख लिया गया था। क्योंकि किसी भी न्याय पंचायत द्वारा बैंकर्स चैक की धनराशि प्राप्ति रसीद D/2 नहीं दी गयी थी। इस तरह से आहरण वितरण अधिकारी द्वारा शासकीय धनराशि का वित्तीय नियम एवं निदेशालय के निर्देशों के विपरीत व्यय/ आहरण दर्शाया गया था।

इस संबंध में पूछने में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आडिट आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया की मजदूरी व्यय से संबन्धित DLC एवं कार्य से संबन्धित माप पुस्तिका आदि भुगतान के पश्चात अगली लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करा दिये जाए तथा बैंकर्स चैक के भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त D/2 कार्यालय में जमा की जाएगी तदपश्चात ही D/2 की छायाप्रतियों एवं अगले लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत कर दी जाएगी। एवं जी॰आई॰ क्रट वायर की गुणवत्ता जांच निदेशालय स्तर पर की जाती है। कार्यालय स्तर पर नहीं होती है। कृषि निदेशालय स्तर से प्राप्त कर वह भी अगली सम्प्रेक्षा में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

उपरोक्त से स्पष्ट हैं कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्टोर परचेज रूल्स निदेशालय निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किए बिना ही धनराशि का आहरण किया गया था तथा व्यय वाउचरो के बिना ही कैश बुक में आहरित धनराशि का व्यय दर्शाते हुऐ आन्त्ये अवशेष शून्य कर दिया गया था तथा माह के अन्त में

बनाए गए एब्स्ट्रक्ट में भी किसी के नाम धनराशि अग्रिम न दर्शाया जाना शासकीय धन को सुरक्षा में संदिग्ध प्रतीत होता हैं।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:1 रु.655536.00 ब्याज की धनराशि का असमायोजित रहना।

उत्तराखंड शासन के पत्र सं॰99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3 सितम्बर 2009 के द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों नियमों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल संबन्धित योजना में उपयोग करने के बजाय विभिन्न बैंको अथवा सावधि जमा के रूप में अवरुद्ध रखा गया है, के संबंध मे शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि यदि किसी विभिन्न कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सकें तथा उस धनराशि को संबन्धित खाता में जमा करने पर प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज की धनराशि का प्रत्येक वर्ष के अंत में आहरित करके चालान के द्वारा राजकोष मे प्राप्ति शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट(पिथौरागढ़) को लेखापरीक्षा के द्वारा पाया गया कि विभिन्न राजकीय योजना में प्राप्त धनराशि को संबन्धित योजना के बैंक खातें में अवरुद्ध रखा गया है जिस पर केवल ब्याज प्राप्त हो रहा है, न तो वह धनराशि संबन्धित योजना को वापस की जा रही है और न ही उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज `655536.00 को शासन के स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा कराया गया था। जेसा कि अभिलेखों से विदित होता है।

इस संबंध से पूछने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया कि जल समभरण योजना दैवीय आपदा योजना का संपादन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है कार्य पूर्ण होने के पश्चात ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केद्रांश पर अर्जित ब्याज की धनराशि का समायोजन योजनाओं कि गाईडलाइन्स के अनुसार अद्धतन नहीं किया गया था।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II